मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो.एहतेशाम अहमद खान, **अध्यक्ष**
   प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारित विभाग
2. डॉ.शगुफ़्ता परवीन, **सदस्य / संयोजक**
   हिन्दी अधिकारी, हिन्दी प्रकोष्ठ
3. प्रो. पठान रहीम खान, **सदस्य**
   प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
4. डॉ.गोविंदैया गोदावर्थि, **सदस्य**
   सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग
5. डॉ.मु.मुस्तफ़ा अली सरवरी, **सदस्य**
   जनसंपर्क अधिकारी, मानू
6. डॉ.वाजदा इशरत, **सदस्य**
   सहायक प्रोफेसर, दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केन्द्र

सर्व-प्रथम संयोजक महोदया द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

बिंदु सं.1. हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा की गई पिछली गतिविधियों का पुनरावलोकन।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिन्दी अधिकारी(राजभाषा अधिकारी) द्वारा हिन्दी प्रकोष्ठ की पूर्व गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी प्राज्ञ के दस बैच, हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण के तीन बैच और हिन्दी पारंगत के आठ बैचों का सफलतापूर्ण संचालन किया गया है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय का वर्ष 2024-25 के 27वें वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी में अनुवाद किया गया।
- सभी विभागाध्यक्षों तथा अनुभागाध्यक्षों को विभागों/अनुभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन से संबंधित परिपत्र परिचालित कर दिया गया है।
- हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं, आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, मानक मसौदों आदि को द्विभाषी रूप में तैयार कर समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की हिन्दी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

बिंदु सं. 2. विश्वविद्यालय के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।

सदस्यों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के कार्यान्वयन से अवगत कराया गया तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभागों एवं अनुभागों में संबंधित परिपत्र जारी कर राजभाषा (हिन्दी) के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया तथा इस दिशा में हिन्दी प्राज्ञ तथा पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया जाए।

सदस्यों का सुझाव था कि, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन होगा।

विश्वविद्यालय के कार्यालयों के नाम-पट्ट अद्यतन करने हेतु पहले एक तरफ हिन्दी और उसके नीचे अंग्रेज़ी तथा दूसरी तरफ पहले हिन्दी और उसके नीचे उर्दू में संबंधित कार्यालय का नाम लिखा जाना चाहिए।

बिंदु सं. 3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में चर्चा।

समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया कि, दिसंबर, 2025 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।

बिंदु सं. 4. अध्यक्ष की आज्ञा से कोई भी अन्य मद।

सभी अनुभागों/विभागों के अध्यक्षों से भेंट कर राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्रदान करना।

धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

हिन्दी अधिकारी
सदस्य एवं संयोजक
मानू, हैदराबाद